कोरोना काल की दो बोलती तस्वीरें

रतलाम. श्रमिकों में फिर से भय पनपने लगा है जिसके चलते वह अब घर को लौटने लगे हैं। ऐसा ही एक नजारा रविवार दोपहर में महू रोड बस स्टैंड पर नजर आया, केरल से आए करीब 8 श्रमिक बस में सवार होकर बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। यदि पूरा लॉकडाउन लग गया तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए समय रहते घर पहुंच रहे हैं।

रतलाम. चप्पल-जूते का हाथ ठेला लगाने वाले हाट की चौकी निवासी मोहम्मद अय्यूब अपना व्यवसाय एक्टिवा पर कर रहे है। मोहम्मद अय्यूब ने बताया गया कि वह ठेला ज्यादा धका नही सकता, प्रशासन एक जगह खड़े रह कर व्यवसाय करने नही दे रहा इस कारण से वह गाड़ी पर घूमकर व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण कर रहा है।

नईदुनिया (09) 26/04/2021

सख्ती : एक मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू

क्राइसेस मैनेजमेंट समिति ने लिया निर्णय, दूध, किराना, फल-सब्जी वितरण व्यवस्था पूर्व की तरह

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देश-प्रदेश के साथ जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए जिले में नौ अप्रैल से लगाए गए लाकडाउन को अब एक मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लाकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लाकडाउन के दौरान पूर्व में जारी की गई गाइड-लाइन के अनुसार ही कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा। इस दौरान दूध, किराना, फल और सब्जी के वितरण के लिए पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।

बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, शहर विधायक चेतन्य काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि रतलाम जिले में लगातार कोरोना मरीजों

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में उपस्थित कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी आदि। • नईदुनिया

मेडिकल कालेज के लिए वाहन में आक्सीजन सिलिंडर चढ़ाते निगमकर्मी। • नईदुनिया

पहले की तरह ही रहेगा छूट का दायरा

- शहरी रहवासी क्षेत्रों में किराना दुकानें (स्टैंड अलोन) रूप में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
- जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य मुक्त रहेंगे।
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर समस्त मेडिकल दुकान, हास्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलाजी लैब खुली रहेंगी।
- शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के की आपूर्ति के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक क्रय कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी।
- एलपीजी गैस सिलेंडर की घरों पर आपूर्ति चालू रहेगी, लेकिन ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं

238 मरीजों को मेडिसिन किट वितरित

ई-दक्ष केंद्र से रविवार को होम आइसोलेशन के मरीजों के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 283 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलों को वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई। वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आइसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया। 11 मरीज उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पाया गया। 17 मरीजों के कांटेक्ट नंबर व पते गलत पाए गए। चार मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया। 11 मरीजों को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया।

हौसला: 25 दिन में 3005 मरीज ठीक, 60% ने घर पर ही कोरोना को हराया, संकट में वे जिन्हें समय पर संक्रमण का पता नहीं चला

मेडिकल कॉलेज से रोज 20 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा रहे, आईसीयू से सपोर्टिंग यूनिट में शिफ्ट होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

26-4-21

सकारात्मक सोच के बलबूते 25 दिन में कोरोना के 3005 मरीज ठीक हो चुके हैं। 60% लोगों ने घर पर रहकर कोरोना को मात दी है। इधर, डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मौत ऐसे लोगों की हो रही है, जो गंभीर कंडीशन होने पर कॉलेज पहुंच रहे हैं।

हमारे जिले में 7788 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 3005 लोग 25 दिन में ही स्वस्थ हो गए। इसी दरमियान जिले में 3891 लोग पॉजिटिव आए, अभी जिले में 1400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इधर, मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर जाने वाले मरीजों की हिम्मत बहुत काम आ रही है। दरअसल, कॉलेज में मरीज ठीक होने के बाद अन्य मरीजों को अपने अनुभव बता रहे हैं, इसमें ज्यादातर एक ही बात कह रहे हैं- हिम्मत और हौसला रखना होगा, सकारात्मक रहेंगे तो ये बीमारी भी जल्द हार जाएगी।

रविवार को सबसे ज्यादा 212 मरीज ठीक हुए

दिनांक	ठीक हुए	दिनांक	ठीक हुए	दिनांक	ठीक हुए
14 अप्रैल	100	18 अप्रैल	95	22 अप्रैल	202
15 अप्रैल	155	19 अप्रैल	131	23 अप्रैल	133
16 अप्रैल	194	20 अप्रैल	184	24 अप्रैल	170
17 अप्रैल	197	21 अप्रैल	191	25 अप्रैल	212

समय पर जांच ही घातकता से बचाएगी

जिले में बड़ी संख्या में लोग घर पर रहकर कोरोना से ठीक हो रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आपका हौसला बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर लक्षणों को पहचानकर जांच करवाएंगे तो कोरोना बीमारी आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी।

डॉ. गौरव बोरीवाल, एपिडेमियोलॉजिस्ट, रतलाम

आईसीयू से स्टेप डाउन यूनिट में जा रहे

मरीज ठीक होने के बाद मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। सकारात्मकता के लिए कॉलेज में कई तरीके आजमा रहे हैं। मरीज की हिम्मत और हौसला बहुत काम करता है। आइसीयू से स्टेप डाउन यूनिट में शिफ्ट होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है।

डॉ. जितेंद्र गुप्ता, एपिडेमियोलॉजिस्ट, रतलाम

रात में वैक्सीनेशन... बोहरा समाजजन ने रोजा खोलने के बाद रात में लगवाया टीका

रतलाम | चांदनीचौक में रविवार को बोहरा समाजजन के लिए विशेष कैंप लगाया। कैंप रात में लगा, ताकि समाजजन रोजा खोलने के बाद वैक्सीन लगवा सकें। सुपरवाइजर लोकेश वैष्णव के साथ टीम पहुंची। समाज के पीआरओ सलीम आरिफ ने बताया 300 लोगों को डोज लगा। एक-दो दिन और ऐसे ही कैंप की जरूरत है।

1 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू : जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया निर्णय

पत्रिका सोशल वैल्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देख कोरोना कर्फ्यू अब 1 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह निर्णय रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। इसके पूर्व 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था हालातों को देखते हुए इसे और आगे बढ़ा दिया गया है।

बैठक में लिए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 1 मई को प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे।

इन्हें भी मिली है छूट

इनके अतिरिक्त सभी मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

शादी में दोनों पक्षों के 20 लोगों की अनुमति

विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अनुमति पूर्व के निर्णय अनुसार ही रहेगी।

बैठक में यह रहे शामिल

वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

स्वदेश (06) 26/04/2021

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय

रतलाम जिले में 26 अप्रैल से एक मई प्रातः 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

रतलाम ● स्वदेश समाचार 26-4-2021
जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 26 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे से एक मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया।

पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबंध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा, लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 एवं सायं काल 4:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से सायंकाल 5:00 बजे तक रहेगी।

किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण

■ विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी।

दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकानें (स्टैंड अलोन) हेतु प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर सप्लाई चालू रहेगा, परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, उद्योग के कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को परीक्षा में शामिल होने उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। न्यूजपेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक एवं सायं 5:00 से रात्रि 8:00 तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी। रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तौल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरी सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें चार भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। रतलाम नगरी क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अगले 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेंगी।

इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों हेतु ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।

बैठक में वर्चुअल रूप से सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

(2)

नईदुनिया
26/4/21

सफाई कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा योजना का लाभ देने के निर्देश

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण या ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी की मौत पर कोरोना योद्धा योजना का लाभ देने के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए हैं। इस संबंध में विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी योजना के दायरे में आते हैं। मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की कोरोना या कोरोना से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो कलेक्टर ऐसे मामलों में दावे निपटाने के लिए समक्ष अधिकारी हैं। उनके स्वजन को राज्य शासन तत्काल 50 लाख रुपये की सहायता देगा। सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों के दावेदार के दावे पेश करने के निर्देश दिए हैं।

निकायों को दिए सफाई और सैनिटाइजेशन के निर्देश : मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगरीय निकायों को वर्तमान परिस्थिति में निरंतर सहयोग के लिए तैयार रहने, नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। संक्रमित परिवारों से सामान्य अथवा बायोमेडिकल अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था अलग से करने को कहा जा रहा है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान के लिए निकायों ने निजी इंसीनेटर से अनुबंध किए हैं। जिन छोटे निकायों में इसकी व्यवस्था नहीं है।

कोरोना मरीजों को 84 हजार 40 मेडिकल किट बांटे

भोपाल। नगरीय क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सरकार ने पिछले सात दिन में 84 हजार 40 मेडिकल किट बांटे हैं। किट फीवर क्लीनिक से देने के साथ

घर-घर जाकर भी वितरित किए जा रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि किट के साथ होम आइसोलेशन में पालन किए जाने वाले निर्देश भी मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच नगरीय क्षेत्रों में फीवर क्लीनिक से और होम डिलीवरी कर 84 हजार 40 मेडिसिन किट मरीजों को दिए गए हैं। आठ अप्रैल को 12583, 19 अप्रैल को 16914, 20 अप्रैल को 11465, 21 अप्रैल को 10327, 22 अप्रैल को 11076, 23 अप्रैल को 11017 और 24 अप्रैल को 10658 कोविड मरीजों को मेडिकल किट बांटी हैं। -ब्यूरो

कर्फ्यू में दिव्यांग कर्मचारियों को उपस्थिति में दें छूट

भोपाल। आयुक्त निशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को जारी पत्र में कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न जिलों में लागू कर्फ्यू के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालयीन उपस्थिति में छूट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए उन्हें विशेष कार्य होने पर ही कार्यालय बुलाया जाए। -ब्यूरो

7 शहरों में तालाबंदी बढ़ाई

खरगोन, रतलाम, भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर व गुना में 3 मई तक पाबंदी

भोपाल ● 25 अप्रैल (ब्यूरो) मध्यप्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरों में तालाबंदी का बढ़ना जारी है। रविवार को प्रदेश के 7 शहरों खरगोन, रतलाम, भोपाल, सागर, गुना व जबलपुर में 3 मई तक तालाबंदी बढ़ा दी गई है। इस दौरान सभी जिलों में 3 मई की सुबह 6 बजे तक तालाबंदी बढ़ाई गई है। शनिवार-रविवार को पहले से तालाबंदी होने के कारण यहां भी बाजार 3 मई की सुबह 6 बजे तक ही तालाबंदी रहेगी। इस दौरान सभी पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कोविड नियंत्रण के प्रभारी मंत्रियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ समीक्षा करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।

26-4-2021

प्रसारण (05) 26/04/2021

क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय

पूरे जिले में 1 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉक डाउन

प्रसारण न्यूज • रतलाम

26-4-2021

जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 26 अप्रैल प्रातः 6 बजे से एक मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, ए डी एम श्रीमती जमुना भिड़े, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 से एक मई 2021 प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे, जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे।

समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर नियमित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा, लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आई डी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6 से प्रातः 10 एवं सायंकाल 4 बजे से सायं 7 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी।

कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रहेगी।

किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकाने (स्टैंड अलोन) हेतु प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एल पी जी गैस सिलेंडर का घर घर चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों कर्मियों उद्योगों कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को परीक्षा में शामिल होने उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी।

धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक एवं सायं 5 से रात्रि 8 तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी।

विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी। रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरी सीमा से होकर गुजरते हैं, वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगी।

रतलाम नगरी क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अगले 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी।

इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों हेतु ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे। निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।

निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की डिलीवरी केवल निर्माण स्थल पर ही हो सकेगी। कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।

की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी होती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी कई चीजों का संकट खड़ा हो गया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन, आक्सीजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकारी और निजी सभी अस्पताल फुल हो चुके हैं। कहीं भी नए मरीजों के लिए बेड का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। जैसे-तैसे आवश्यक दवाई, इंजेक्शन, आक्सीजन आदि के प्रबंध किए जा रहे हैं। बिगड़ते हालातों के चलते रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फिर लाकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में गत नौ अप्रैल को लाकडाउन लगाया गया था, जिसे बाद में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, लेकिन कोरोना की रफ्तार नहीं थमने से अब एक मई सुबह छह बजे तक लाकडाउन बढ़ा दिया गया है।

ये पूरी तरह बंद रहेंगे

- समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और सभी शराब की दुकानें, बार, भांग व भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगी।

करने की अनुमति रहेगी।

- रतलाम नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अगले 10 दिन तक हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में सामग्री वितरण किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण के लिए खुली रहेंगी।
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को घर पर जाकर रिपेयरिंग एवं सर्विस करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की गई है।
- कृषि संबंधी सेवाएं, उपार्जन केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।
- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि लाकडाउन से

ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे।

- पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी।
- कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रितों को प्रतिदिन भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
- सभी शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. उन्हें अपने साथ आइडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
- दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु सुबह 6 से 10 बजे एवं शाम 4 से 7 बजे तक दूध वितरण घर-घर जाकर किया जा सकेगा।
- 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए नजदीकी केंद्र पर आ जा सकेंगे।
- सब्जी एवं फल विक्रेता फेरीवाले घर-घर जाकर चलित रूप से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सब्जी बेच सकेंगे।
- किराना दुकानों से होम डिलेवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। ग्रामीण दुकानदारों जा सकेगा।
- न्यूज पेपर वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया जा सकेगा।
- हॉटल एवं लाज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी।
- टिफिन सेंटर से टिफिन वितरण सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 8 बजे तक की अनुमति रहेगी।
- किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु जाने की अनुमति रहेगी।
- विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष से अधिकतम 20 व्यक्ति की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- अंतिम संस्कार/शवयात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।
- चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी।

आज 81 स्थानों पर होगा कोविड टीकाकरण

रतलाम। जिले में सोमवार को कोविड टीकाकरण के लिए 81 स्वास्थ्य केंद्रों का चि-न्हित किया गया है। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि सोमवार को शहरी क्षेत्र में पुराना कलेक्टेरोट में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। बाल चिकित्सालय, कम्युनिटी हाल अलकापुरी, जवाहर नगर, जिला आयुष अस्पताल, जैन स्कूल काश्यप सभागृह सागोद, रोड गुरु तेग बहादुर स्कूल में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। रतलाम के प्राइवेट अस्पताल आरोग्यम हास्पिटल, गीता देवी हास्पिटल, जैन दिवाकर हास्पिटल, साईं श्री हास्पिटल, श्रद्धा हास्पिटल और आशीर्वाद नर्सिंग होम पर हितग्राही सशुल्क टीका लगवा सकेंगे।

सैलाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाना, पीएचसी सरवन, शिवगढ़, सकरावदा में कोविड के टीके लगाए जाएंगे। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में रैन, ढीकवा, पलास, बंदोड़िया, कनेरी, तितरी, बिबड़ौद, सारोद, बरबोदना, बड़ौदा, कमेड़ के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड के टीके लगाए जाएंगे।

पिपलौदा विकासखंड के सीएचसी पिपलौदा, पीएचसी सुखेड़ा, पंचेवा, उप स्वास्थ्य केंद्र रानीगांव, चिकलाना, जड़वासा, धामेड़ी, शेरपुर में टीकाकरण किया जाएगा। जावरा विकासखंड के सिविल हास्पिटल जावरा, पीएचसी ढोढर, बड़ावदा, रिंगनोद, बड़ावदा, उप स्वास्थ्य केंद्र कलालिया मुंडलाराम झालवा, मोरिया, पिपलिया जोधा, गुर्जर बर्डिया, उपलई, हिंगोरिया धांधु, किलोली, गोठड़ा, मांडवी, पिपलिया सिर, रोला, असावती में टीकाकरण किया जाएगा। बाजना विकासखंड के सीएचसी बाजना, पीएचसी रावटी, उप स्वास्थ्य केंद्र कुंदनपुर, भूतपाड़ा, केलकच्छ, चंद्रगढ़, चिकनी, रतनगढ़खेड़ा, राजापुरा माताजी, अमरपुरा ठीकरिया, बजरंगगढ़, भण्डा सैलोत, नाहरपुरा, गढ़ीगमना में टीके लगाए जाएंगे। आलोट विकासखंड के सिविल अस्पताल आलोट, सीएचसी खारवाकलां, ताल, स्वास्थ्य केंद्र मंडावल, गुरुखेड़ी, मुंडलाकलां, गुराड़िया, पिपलिया पीथा, कानड़िया, भोजाखेड़ी में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा।

रविवार को 468 लोगों को लगे टीके

रविवार को रतलाम के बाल चिकित्सालय में 308, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाना में 20 लोगों को टीके लगाए गए। पुराना कलेक्टोरेट में 55 लोगों का टीकाकरण किया गया। आरोग्यम हास्पिटल में 65 लोगों व गीता देवी हास्पिटल में 20 लोगों को सशुल्क टीके लगाए गए।

आक्सीजन सिलिंडर सप्लाय कार्य का निरीक्षण

रतलाम। मेडिकल कालेज में उपचाररत कोविड-19 के भर्ती मरीजों को किसी भी प्रकार से आक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा आक्सीजन सिलिंडर कार्य की सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके तहत निगमायुक्त ने मालवा व महावीर आक्सीजन पहुंचकर कार्य का अवलोकन किया। आक्सीजन सिलिंडर सप्लाय में निगम के नियुक्त कर्मचारी वाहनों के ड्रायवर आदि को इस कार्य में लापरवाही नहीं करने और समय पर आक्सीजन सिलिंडर मेडिकल कालेज पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक यंत्री स्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

कालाबाजारी से हमारा कोई संबंध नहीं

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में औषधि निरीक्षक सारिका अग्रवाल ने दावा किया जिस कंपनी का रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रशासन के पास आ रहा है, उसकी कालाबाजारी नहीं हुई है। किसी दूसरी कंपनी का होगा, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। प्रशासन के पास जो इंजेक्शन आ रहे है, उसकी सीधे डिलीवरी हो रही है। 120 इंजेक्शन प्राइवेट अस्पतालों को रोज दिए जा रहे है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। मेडिकल कालेज में जो इंजेक्शन आ रहे है, उसकी जानकारी वहां के डीन ही दे पाएंगे। प्राइवेट अस्पताल में जो कालाबाजारी का मामला है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बाकी पुलिस जांच में मामले की सच्चाई सामने आ ही जाएगी।

दैनिक भास्कर (08) 26/04/2021

ट्राएज में लगेंगे सीसीटीवी • सिक्योरिटी के लिए, देर रात मरीज के परिजन ने किया विवाद, डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की कोशिश

रतलाम मेडिकल कॉलेज में अब पास सिस्टम, मरीज के परिजन के रहने की व्यवस्था भी करेंगे, परिसर को नो-व्हीकल जोन बनाया

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। पास सिस्टम लागू करेंगे। मुख्य गेट पर पास बनाया जाएगा, इस आधार पर परिजन को प्रवेश मिलेगा। अब तक अंदर तक गाड़ियां ले जा रहे थे, लेकिन कॉलेज परिसर को नो-व्हीकल जोन बनाया जाएगा। कॉलेज में देर रात मरीज के परिजन ने डॉक्टरों के साथ विवाद किया, कॉलर पकड़ने की कोशिश की। ऐसी घटना दोबारा न हो इसलिए ट्राएज एरिया में सीसीटीवी लगाने के साथ सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है।

मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजन अस्पताल के गेट तक जाते थे, वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं थी। परिजन को कॉलेज के मुख्य गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए पास लेना होगा। एक मरीज के एक परिजन को ये पास दिया जाएगा। ट्राएज एरिया को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। अभी छोटे बंद हॉल में होने के कारण संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इधर, ट्राएज एरिया में मरीज के साथ सिर्फ एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा। परिजन के ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

सीसीटीवी इसलिए... ताकि घटनाक्रम की रिकार्डिंग रहे

इधर, मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजन ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ने की कोशिश की। डीन उस दौरान मौजूद थे, ऐसे में मामला संभल गया। हालांकि, घटना के बाद डॉक्टरों ने काम बंद करने की चेतावनी दी थी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला हुआ है, ताकि कोई भी घटना की रिकॉर्डिंग हो सके। डीन ने पुलिस से सिक्यूरिटी बढ़ाने की मांग की है।

50 वार्ड बॉय की भर्ती ताकि हेल्प डेस्क में हो सुधार

कॉलेज में 50 वार्ड बॉय की भर्ती की है, ताकि हेल्प डेस्क में सुधार हो। इधर, मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन का प्रेशर, मात्रा आदि जांचने के लिए ऑक्सीजन ऑडिट टीम रहेगी। कॉलेज की व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए रविवार को डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, सीएसपी हेमंत चौहान, डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता सहित अधिकारियों की मीटिंग हुई।

नई व्यवस्था लागू हो रही

कॉलेज की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। एक-दो दिन में सिस्टम लागू हो जाएंगे। सभी की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

डॉ. जितेंद्र गुप्ता, डीन, मेडिकल कॉलेज

व्यवस्था बना रहे

मरीज और परिजन के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि परेशानी ना हो। परिजन के रुकने की व्यवस्था करवा रहे हैं।

चेतन्य काश्यप, शहर विधायक, रतलाम

राज एक्सप्रेस (07) 26/04/2021

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय

रतलाम जिले में एक मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों कर्मियों उद्योगी कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को परीक्षा में शामिल होने उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी

रतलाम(आरएनएन)। जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रोजाना 200 के करीब मरीज सामने आ रहे है। जिसको देखते हुए यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया।

बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम शहर विधायक श्री चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 से एक मई 2021 प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6 से प्रातः 10 एवं सायं काल 4 बजे से सायं 7 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रहेगी।

किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकाने (स्टैंड अलोन) हेतु प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक एवं सायं 5 से रात्रि 8 तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।

उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरी सीमा से होकर गुजरते हैं, वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने बार भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। रतलाम नगरी क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने खुली रहेंगी, लेकिन आगामी 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों हेतु ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे। निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की डिलीवरी केवल निर्माण स्थल पर ही हो सकेगी। कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।

पत्रिका (10) 26/04/2021

तीसरा प्रयास • कोरोना की चेन ब्रेक करने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का फैसला

3 मई तक बढ़ा जिले में लॉकडाउन

रोज 5 मौतें, 200 से ज्यादा निकल रहे हैं संक्रमित

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में चल रहे कोरोना कर्फ्यू को 3 मई तक आगे बढ़ा गया है।

जिला स्तरीय लॉकडाउन यूं तो 1 मई सुबह 6 बजे खुल जाएगा, लेकिन 1 मई को शनिवार और 2 मई को रविवार प्रदेश व्यापी लॉकडाउन लागू रहने के कारण उम्मीद है शहरवासियों को 3 मई से राहत मिले। इसके पहले 19 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाया था, जो 26 अप्रैल सुबह 6 बजे खुलना था। पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते रविवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने इसे पांच दिन और आगे बढ़ाया है। शनिवार और रविवार मिलाकर शहरवासियों को 7 दिन और घर में रहना पड़ेगा।

जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, शहर विधायक चेतन्य काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना वर्चुअल, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, गोविंद काकानी आदि मौजूद रहे।

रतलाम मेडिकल कॉलेज : सिलेंडर लेकर सुबह 10 बजे पहुंचे, रात 10 बजे तक नहीं हो सके भर्ती

रतलाम मेडिकल कॉलेज पूरी तरह हाउसफुल हो गया है। रविवार को मरीजों को बेड नहीं मिले। सैलाना से आए गोवर्धनलाल कसेरा को भर्ती ही नहीं किया। उनका ऑक्सीजन लेवल 80 पर था। ऐसे में वे ट्राएज के बाहर परिजन द्वारा लाए गए सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते रहे। कसेरा सुबह 10 बजे कॉलेज आ गए थे, रात 10 बजे तक उन्हें बेड नहीं मिला था।

लॉकडाउन में छूट और पाबंदियां

इन्हें रहेगी छूट

- ☑ मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं टेस्टिंग लैब खुलेगी।
- ☑ फुटकर विक्रेता और पॉर्लर वाले दूध सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे के बीच घर-घर वितरण करेंगे।
- ☑ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सब्जी और फल विक्रेता चलित रूप से विक्रय कर सकेंगे।
- ☑ सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किराना दुकान वाले होम डिलीवरी कर सकेंगे। ग्रामीण दुकानदार सुबह 6 से 10 बजे सामान खरीदकर ले जा सकेंगे।
- ☑ उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी, एजेंसी तक जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- ☑ टीकाकरण के लिए 45 साल से अधिक उम्र वालों और मेडिकल स्टॉफ को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
- ☑ बैंक, रेलवे, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली कंपनी, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि के कार्यालय खुल सकेंगे।
- ☑ पेट्रोल पंप और उद्योग चालू रहेंगे, इनके कर्मचारी भी आवाजाही कर सकेंगे। कच्चा माल भी पहुंचेगा।
- ☑ सुबह 6 से 9 बजे के बीच न्यूज पेपर बटेंगे।
- ☑ सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात 8 बजे तक सेंटर वाले टिफिन बांट सकेंगे।
- ☑ इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक घर-घर जाकर सर्विस दे सकेंगे।
- ☑ समर्थन मूल्य खरीदी होगी, शहर में उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

ये रहेगी पाबंदियां

- ☒ धार्मिक स्थल मंदिर और उपासना स्थलों में अधिकतम दो व्यक्ति खोलने व बंद करने जा सकेंगे।
- ☒ रेस्टोरेंट, होटल में खुले में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होटल व लॉज वाले रूम में भोजन दे सकेंगे।
- ☒ विवाह आयोजन में 20 लोग ही रह सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
- ☒ शवयात्रा और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
- ☒ आपात स्थिति के अलावा दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे।
- ☒ बिना ठोस कारण के घर से निकलने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

राज एक्सप्रेस (11) 26/04/2021

दुकान खोलकर भीड़ लगाने वालो के खिलाफ जारी है कार्रवाई, कल पांच दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

रतलाम। लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने एवं भीड करने की अनुमति नही है फिर भी कुछ दुकानदार आदेश का उल्लंघन कर रहे है, ऐसे मे पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आदेश का उल्लंघन करने वालो पर एफआईआर हो रही है। रतलाम मे माणक चौक पुलिस ने बाजना बस स्टैण्ड क्षेत्र मे गढली मंदिर के सामने दुकान खोलकर लोगो की भीड इकट्ठा करने के आरोप मे निलेश जैन पिता शांतिलाल जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी प्रकार धानमंडी मे नाना कचोरी की दुकान पर भीड करते हुए कचोरी बेचने के आरोप मे नाना पालीवाल पिता रतनलाल पालीवाल निवासी वेदव्यास कालोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। शिवगढ़ पुलिस ने भी दो दुकानदारो के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने बस स्टैण्ड क्षेत्र मे जय महाकाली आईस कैण्डी के संचालक रामेश्वर पिता रामनारायण सोलंकी के खिलाफ तो वही बस स्टैण्ड पर किराना दुकान चलाने वाले दिनेश पिता राधेलाल गेहलोत के खिलाफ धारा १८८ मे प्रकरण दर्ज किया। राज 26-4-21

आज 81 स्थानों पर टीकाकरण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 26-4-21

रतलाम. जिले में सोमवार को कोविड टीकाकरण के लिए 81 स्वास्थ्य केंद्रों का चिन्हांकन किया गया है। शहरी क्षेत्र में पुराना कलेक्टेट रतलाम में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा ।

रतलाम के प्राइवेट अस्पतालों आरोग्यं हॉस्पिटल, गीता देवी हॉस्पिटल, जैन दिवाकर हॉस्पिटल, साईं श्री हॉस्पिटल, श्रद्धा हॉस्पिटल और आशीर्वाद नर्सिंग होम पर हितग्राही सशुल्क टीका लगवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिले के रतलाम ग्रामीण, सैलाना, जावरा, पिपलोदा, आलोट विकासखंड में भी

रविवार को 468 लोगों को लगा टीका- रविवार को 468 लोगों को टीका लगाया गया। रतलाम के बाल चिकित्सालय में 308, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाना में 20, पुराना कलेक्ट्रेट में 55, आरोग्यं हॉस्पिटल में 65, गीता देवी हॉस्पिटल में 20 लोगों का टीकाकरण किया गया।

246 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे- 246 लोग स्वस्थ होकर रविवार को डिस्चार्ज हुए। मेडिकल कॉलेज से 56 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। होम आइसोलेशन से 175 व्यक्तियों को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया। आयुष हॉस्पिटल से 4, रेलवे हॉस्पिटल से 2, नवीन कन्या परिसर से 1 तथा अन्य सेंटर से 8 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया।

नईदुनिया (03) २६/०४/२०२१

तीसरे भी दिन 200 से ज्यादा नए मरीज

रतलाम। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे शासन-प्रशासन के साथ जिलेवासियों की चिंता बढ़ गई है। भयावह स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पर्याप्त दवाइयों, आक्सीजन आदि की कमी बनी हुई है। इससे मरीजों के साथ उनके स्वजनों की सांसें भी ऊपर-नीचे हो रही है। रविवार को 245 नए मरीज मिले। पांच मौत भी हुई। 212 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1448 है। मालूम हो कि जिले में अभी तक 9407 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 7788 स्वस्थ हुए हैं और 171 की मौत हो चुकी है। पेंडिंग सैंपलों की संख्या भी 1200 से ज्यादा बनी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी 200 से अधिक नए पाजिटिव केस सामने आए। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन यह पाजिटिव की तुलना में कम है।

246 लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

कोरोना से संक्रमित 246 लोगों को रविवार को स्वस्थ होने की खुशी मिली। इन्हें स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल कालेज से 56 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। इसी प्रकार होम आइसोलेशन से 175 व्यक्तियों को निगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। रतलाम स्थित श्रद्धा हास्पिटल से चार व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। रेलवे हास्पिटल से दो, नवीन कन्या परिसर से एक तथा अन्य सेंटर से आठ व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद इन सभी ने कोविड निर्देशों का पालन करने तथा अपने परिचितों, स्वजनों को मास्क लगाने, पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया।

केवल 79 नान आक्सीजन बेड खाली

मेडिकल कालेज के डीन डा. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि रविवार मेडिकल कालेज में 68 नए मरीज भर्ती हुए। मेडिकल कालेज हास्पिटल में कुल बिस्तरों की संख्या 550 है। इनमें आइसीयू बेड 56 सभी फुल है। एचडीयू में 172 बेड सभी फुल है। आक्सीजन बेड 120 सभी फुल है। नान आक्सीजन बेड 202 में से 123 पर पेशेंट भर्ती हैं। कुल 471 पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है। इनमें 304 पाजीटिव हैं तथा शेष सस्पेक्टेड या आक्सीजन लेवल वाले हैं। हास्पिटल में रिक्त बेड 79 है। उन्होंने बताया कि मरीजों व उनके स्वजनों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

नईदुनिया २६/४/२१

रतलाम में 245 नए मरीज मिले, 5 लोगों ने तोड़ा दम

भास्कर संवाददाता | रतलाम

26/4/21

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को 245 नए पॉजिटिव मिले, वहीं चिंताजनक ये है कि 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिले में अब तक 171 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। रविवार को मिली रिपोर्ट में दो 8 साल के बच्चे, एक 6 साल व 5 साल का बच्चा संक्रमित होना मिला है। रतलाम के साथ ग्रामीणों क्षेत्र के भी मरीज शामिल हैं। इधर, अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 9407 हो गया है। दो दिन में जिले में 505 मरीज सामने आ चुके हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

क्रू लॉबी तक पहुंचा संक्रमण, 49 लोको व सहायक पायलट पॉजिटिव : ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर और गार्ड की ड्यूटी लगाने वाले विभाग क्रू लॉबी में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 49 लोको व सहायक लोको पायलट पॉजिटिव आ चुके हैं। इतना ही नहीं दो दिन में दो ड्राइवर दम तोड़ चुके हैं। 5 लोको निरीक्षण भी संक्रमित हो गए हैं। बावजूद क्रू बदलने के समय लोको को सैनिटाइज्ड नहीं किया जा रहा। रनिंग रूम में 20 से 24 घंटे रोककर कर्मचारियों को गाड़ी पर भेजा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है बाहरी मुख्यालय पर स्टाफ को रनिंग रूम में भेजने के बजाए यू टर्न में ड्यूटी लगाई जाना चाहिए। इससे वे बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। लोको निरीक्षकों के फुट प्लेट निरीक्षण भी बंद होना चाहिए।

रतलाम एसपी की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव

लॉकडाउन और व्यवस्था बनाए रखने एसपी फिल्ड में कर रहे कार्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

26/4/21

रतलाम. रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी की पत्नी की रिपोर्ट शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आई है, नियमों के तहत पुलिस अधीक्षक को भी क्वॉरंटीन होना था, लेकिन लॉकडाउन और व्यवस्था बनाने वे रविवार को फिल्ड में नजर आए। हालांकि उनका कहना है कि 1 अप्रेल से ही गेस्ट रूम में रह रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटी बंगले में अलग से रहती है, जो कंटेनमेंट है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वह फील्ड में मौजूद है। वहीं, महकमे के अन्य अधिकारी फिलहाल मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे।

डीन और कांग्रेस नेता ने किया था उल्लंघन

कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कुछ दिन पूर्व कांग्रेस नेता पारस सकलेचा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था जबकि मेडिकल कॉलेज की तत्कालीन डीन डॉ शशि गांधी ने भी नियमों का उल्लंघन किया था और कंटेनमेंट से बाहर आई थी, ऐसे में उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अब खुद पुलिस अधीक्षक मामले में शामिल हो गए हैं।

पत्नी की हल्की तबीयत खराब होने के बाद से वह, बेटी के साथ होम आइसोलेट है। मैं 1 अप्रेल से ही गेस्ट रूम में अलग रह रहा हूं। उनके सस्पेक्टेड होने के बाद से ही परिवार से दूरी है, इसी कारण से फील्ड में था।

- गौरव तिवारी, एसपी रतलाम

(1)

मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई तो निगम ने फेक्ट्रियों से पहुंचाई ऑक्सीजन

2164 26-4-21

रतलाम। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलने पर कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक रतलाम शहर चेतन्य काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्याम सोनी, कर्मचारी व वाहनों के साथ तत्काल उपस्थित होकर मालवा ऑक्सीजन में 3 व महावीर ऑक्सीजन 2 लोडिंग वाहन व लेबरों लगाकर ऑक्सीजन सिलेण्डर भरवाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाये।

नगर निगम के आयुक्त ने 70 लेबर एवं पांच वाहन के साथ मौके पर पहुंच गए एवं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों एवं वाहन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था स्वयं उपस्थित रहकर एवं नगर निगम के उपायुक्त विकास सोलंकी जी एवं सहायक यंत्री श्याम कुमार सोनी भी तब तक काम करवाते रहे जब तक यह पता नहीं चल गया की आक्सीजन की कमी अब नहीं है इसी बीच ऑक्सीजन का टैंकर भी पहुंच गया आयुक्त महोदय एवं टीम ने अपने सामने ऑक्सीजन को खाली करवाया एवं व्यवस्था को बिगड़ने से रोका इस कार्य में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एवं नर्सों ने अपना सहयोग दिया। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था संपादित की जावेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह, उपयंत्री ब्रजेश कुशवाह, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

राज एक्सप्रेस 26/04/2021

आयुक्त की हिदायत

ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में कोई भी लापरवाही न हो

भास्कर संवाददाता | रतलाम

26-4-2021

ऑक्सीजन प्लांट से मेडिकल कॉलेज तक सिलेंडर पहुंचाने में लगी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आयुक्त सोमनाथ झारिया रतलाम मेडिकल कॉलेज, मालवा और महावीर ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे। सप्लाई की स्थिति देखने के बाद उन्होंने ड्राइवर, हेल्पर व अन्य कर्मचारियों से कहा कि यह मानवता की सेवा का भी काम है। समय पर सिलेंडर मेडिकल कॉलेज पहुंचाएं। रविवार को निगम की टीम ने तीन ट्रिप लगाकर सिलेंडर पहुंचाए।

आयुक्त के साथ उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह भी थे। उधर निगम के वार्डवार दल ने रविवार को 238 होम आइसोलेट मरीजों तक मेडिसिन किट पहुंचाई। इसमें 11 मरीज अस्पताल में भर्ती मिले। 17 मरीजों के पते और मोबाइल नंबर गलत निकले। 14 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर के थे। तीन फायर लॉरी और 14 हैंड मशीनों से साक्षी पेट्रोल पंप से अलकापुरी, जीतनगर, नयागांव, टैगोर कॉलोनी, अलकापुरी बी व डी सेक्टर सहित 22 से ज्यादा इलाकों को सैनिटाइज्ड किया। 14 व्यक्तियों की टीम ने हैंड मशीन से मेडिकल कॉलेज, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया।